प्रयाग कुंभ मेले में बहायी गयी भ्रष्टाचार की गंगा!

जेपी सिंह

प्रयागराज कुम्भ का कुल बजट तो लगभग 4500 करोड़ का था लेकिन पतित पावनी गंगा, पुण्य सलिला यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर वर्ष 2019 में लगने वाले कुंभ मेले में होने वाले 980.94 करोड़ रुपये के कामों की कथित जांच थर्ड पार्टी से कराई गयी थी। इस तरह केवल एक चौथाई बजट से कम बजट के कार्य ही थर्ड पार्टी ऑडिट के दायरे में थी। विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट की मानें तो थर्ड पार्टी जांच में कई महत्वपूर्ण गुणवत्ता परीक्षण नहीं किये गए थे और थर्ड पार्टी जांच घपले-घोटाले पर लीपापोती के लिए थी क्योंकि इसके तत्संबंधी जाँच दस्तावेज कैग को उपलब्ध नहीं कराये गये।

दरअसल 25 फरवरी 2018 को तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था कि 980.94 करोड़ रुपये के कामों की जांच थर्ड पार्टी से कराई जाएगी। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश भेज दिया था।

सरकार द्वारा बताया गया था कि लोक निर्माण विभाग को 39,641.26 लाख, पावर कार्पोरेशन 151.89, जल निगम 15,564.32 लाख, नगर निगम इलाहाबाद 3,019.93 लाख रुपये का काम दिया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग को 25 लाख, नगर पंचायत झूंसी 67.06 लाख, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण 7,429.14 लाख, राज्य सड़क परिवहन निगम 195.52 लाख, सेतु निगम 32,000 रुपये काम कराने के लिए दिए गए हैं।

इसके लिए इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण) ने ई-टेंडरिंग के माध्यम से थर्ड पार्टी के चयन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें कुल सात फर्मों ने भाग लिया था। इसमें से तीन फर्मों का तकनीकी स्कोर कट ऑफ से ऊपर पाया गया। इन तीन फर्मों में बीएलजी कॉन्सट्रक्शन, टीयूवीएसयूडी तथा मेन हार्ट कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तुतीकरण के बाद टीयूवीएसयूडी का चयन किया गया। कहा जाता है कि टीयूवीएसयूडी के माध्यम से कुंभ मेला कामों की थर्ड पार्टी जांच कराई गयी।

टीयूवी कम्पनी द्वारा विकसित एक साफ्टवेयर के बारे में दावा किया गया कि समस्त कार्यों के प्रगति की रिपोर्ट सभी विभाग साफ्टवेयर में दिये गये पाठ्य में नियमित रूप अंकित करते रहेंगे, तथा कुम्भ की प्रगति से सम्बन्धित साप्ताहिक समीक्षा बैठकों से लेकर मुख्य सचिव/स्तर से होने वाली सभी बैठकों में कार्य की प्रगति का आंकलन इसी साफ्टवेयर में सभी विभागों की समस्त कार्यों का वर्गीकृत विवरण विकास कार्यों की समयबद्ध प्रगति के अनुसार माइलस्टोन के रूप में अंकित होता रहेगा। जिसकी वास्तविक परीक्षण थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी अपने स्तर से करते हुए समयबद्ध रूप से मण्डलायुक्त और प्रशासन को अवगत कराती रहेगी।

साफ्टवेयर में समस्त कार्यों के समयबद्ध चार्ट के अनुसार मौलिक प्रगति का उल्लेख माइलस्टोन के रूप में दिखता रहेगा तथा कार्य के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के व्यय की भी स्थिति पारदर्शी ढंग से दिखाई देती रहेगी। इस प्रकार कार्य की भौतिक, वास्तविक आख्या गुणवत्ता एवं समयबद्ध अनुपालन के रूप में पारदर्शी ढंग से दिखाई देती रहेगी। इससे विकास कार्यों की समयबद्धता और उनकी गुणवत्ता पर हस्तक्षेप का केन्द्रीय नियंत्रण रहेगा तथा हर विभाग की प्रगति आख्या साफ्टवेयर पर पारदर्शी ढंग से उपलब्ध रहेगी।

ये सब तो दावे थे लेकिन हकीकत में क्या हुआ इसे कुम्भ के दौरान लोक निर्माण विभाग के कारनामों से समझा जा सकता है। थर्ड पार्टी ऑडिट और कथित साफ्टवेयर के बावजूद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में सड़कों के निर्माण में खुलकर मानकों की अनदेखी पकड़ी गई। सड़कों के निर्माण में अफसरों की मिलीभगत से जमकर अंधेरगर्दी की गई। निर्माण खंड-4 (कुंभ मेला) डिवीजन की सड़कों में बिना काम पूरा कराए करोड़ों रुपये का भुगतान करा लिया गया। ठेका फर्मों ने आधा-अधूरा जो काम कराया भी, वह अधोमानक पाया गया है।

कैग की रिपोर्ट में थर्ड पार्टी आडिट के सम्बन्ध में कहा गया है कि भौतिक आधारभूत संरचना बनाने और वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के लिए गुणवत्ता आश्वासन आवश्यक है जो मेला के लिये सुरक्षित/दुर्घटना-मुक्त वातावरण उपलब्ध करायेगा। यह प्रयोगशाला परीक्षण की नियमित निर्धारित

प्रणाली के साथ-साथ तीसरे पक्ष के निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना था।

प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन शासनादेश (अगस्त, 1996) सड़क कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित करता है। प्रणाली में सम्मिलित था कि 25 प्रतिशत परीक्षण नमूने, अनुसंधान विकास और गुणवत्ता संवर्धन सेल एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ भेजे जायेंगे, 25 प्रतिशत परीक्षण नमूने क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मेरठ143 भेजे जायेंगे और शेष 50 प्रतिशत परीक्षण नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए जिला प्रयोगशालाओं को भेजे जायेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अनुबंध में यह प्रावधान भी है कि ठेकेदार निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार अनिवार्य परीक्षण करने के लिए कार्यस्थल पर एक प्रयोगशाला स्थापित करेगा।

शासनादेश (अगस्त, 1996) के अनुसार, गुणवत्ता परीक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं विभाग के पास थी और शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रणाली को तीसरे पक्ष के निरीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, थर्ड पार्टी के निरीक्षण का कुम्भ मेला कार्यों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन परीक्षणों से बचने के लिए उपयोग किया गया था और संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक निरीक्षण को कमजोर किया गया था, जो कि शासनादेश का एक गंभीर उल्लंघन था। (143 जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां 25 प्रतिशत परीक्षण नमूने अनुसंधान विकास और गुणवत्ता संवर्धन सेल एवं अनुसंधान संस्थान को भेजे जाने थे।)

शासन ने बताया (मई 2020) कि सभी कार्यों के संबंध में गुणवत्ता परीक्षण थर्ड पार्टी जांच एजेंसी द्वारा किए गए थे। यह भी कहा कि ठेकेदारों ने अपनी प्रयोगशालाओं में आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण भी किए थे और कुछ मामलों में, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण किए गए थे। हालांकि, सरकार ने उन परिस्थितियों की व्याख्या नहीं की, जिनके तहत अनुसंधान विकास और गुणवत्ता संवर्धन सेल, अनुसंधान संस्थान तथा जिला प्रयोगशालाओं के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण नहीं किये गये थे।

थर्ड पार्टी के निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने एवं प्रयोग की जाने वाली सामाग्रियों की गुणवत्ता का अनुश्रवण किये जाने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी (थर्ड पार्टी जांच एजेंसी) को लगाया, जिससे अभिलक्षित विशिष्टियों के अनुरूप उत्पाद प्राप्त हो सके। थर्ड पार्टी जांच एजेंसी के कार्य-क्षेत्र निर्देशों के अनुसार, थर्ड पार्टी जांच एजेंसी को तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सभी कार्यों की गुणवत्ता का आश्वासन एवं प्रमाणीकरण किया जाना था।

लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जांच किये गये सड़क के 59 कार्यों में से 30 कार्यों से सम्बंधित थर्ड पार्टी जाँच एजेंसी की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई, परिणाम स्वरूप इन सड़क के कार्यों की गुणवत्ता के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता। शेष नमूना जांच किये गये सड़क के 29 कार्यों में लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि चार सड़क के कार्यों का थर्ड पार्टी जांच एजेंसी द्वारा कोई गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया था, जबकि 25 सड़क के कार्यों में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा 80 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक के आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण नहीं किये गए थे।

थर्ड पार्टी जांच एजेंसी द्वारा नहीं किये गए महत्वपूर्ण परीक्षणों में कैलिफोर्निया बीयरिंग अनुपात परीक्षण एवं ग्रेनुलर सतह में नमी की उपलब्धता और बाइन्डर की गुणवत्ता, बाइन्डर के फैलाव की दर, एग्रीगेट की जल अवशोषण क्षमता, प्लास्टीसिटी इन्डेक्स, बिटुमिनस कार्य के सम्बन्ध में मिक्स ग्रेडिंग एवं मिक्स की स्थिरता परीक्षण सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर यह देखा कि थर्ड पार्टी जांच एजेंसी द्वारा जांचे गये सभी कार्यों में कम से कम एक कमी सूचित की गयी थी तथा आवश्यकता के अनुसार सुधार और/या ठेकेदार पर जुर्माना लगाये जाने का सुझाव दिया। हालांकि, लेखापरीक्षा थर्ड पार्टी जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जांच नहीं कर सका क्योंकि लोक निर्माण विभाग की ओर से थर्ड पार्टी जांच एजेंसी द्वारा इंगित की गयी गई कमियों के कारण ठेकेदारों पर लगाए गए कार्य-वार जुर्माने से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके अतिरिक्त, अस्थाई प्रकृति के कार्यों के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी जाँच एजेंसी ने दृष्टिक निरीक्षण किया तथा विभाग द्वारा उसके अनुसार खराब गुणवत्ता की सामाग्रियों एवं कार्यकुशलता के कारण ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं पर 52.01 करोड़ की वसूली अधिरोपित की गयी। राज्य सरकार ने बताया (मई 2020) कि अनुबन्ध के अनुसार थर्ड पार्टी जांच एजेंसी द्वारा समस्त गुणवत्ता परीक्षण किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि थर्ड पार्टी जाँच एजेंसी द्वारा कई महत्वपूर्ण गुणवत्ता परीक्षण नहीं किये गए थे। 30 सड़क कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट एवं ठेकेदारों पर खराब सड़क कार्य कराये जाने के कारण लगाये गए दण्ड से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

टीकाकरण की लूट में अब रिलायंस भी शामिल

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

कोरोना के नाम पर, बीते दो सालों में व्यापारिक अस्पतालों,. फार्मास्यूटिकल कम्पनियों व इनसे जुड़े तमाम लोग़ों ने जनता को जी भर कर लूटा है। इस दौरान, धंधे से जुड़े लोग लखपति से करोड़पति व करोड़पति से अरबोंपति हो गये। इनके लिये कोरोना बीमारी न होकर नोट छापने की मशीन बन गया। लूट के इस कारोबार में भयभीत जनता तो मजबूरन दवाओं आदि की खरीदारी करती ही है, लेकिन सबसे बड़ी खरीदार तो भारत सरकार एवं राज्य सरकारें हैं।

लूट दौड़ में, मुनाफ़े की हवस का मारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक मुकेश अम्बानी भला क्यों पीछे रहता, खास कर जब सबसे बड़ा खरीदार एवं मुनाफ़ा देने वाला प्रधानमंत्री मोदी उसका खास जोड़ीदार हो।

मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार रिलायंस कंपनी ने भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया है। उसे पहले मानव परीक्षण की अनुमति भी तुर्त-फुर्त दे दी गई है। यह वैक्सीन प्रोटीन सब यूनिट तकनीक पर आधारित है। जल्द ही इसके लिये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इन्डिया से भी यह मंजूरी मोदी जी दिला ही देंगे क्योंकि वहां के अफ़सरों ने नौकरी तो मोदी जी की ही करनी है। मुनाफे की लूट में हिस्सा पाने की जल्दबाज़ी में मुकेश अम्बानी ने यह वैक्सीन मैदान में उतार तो दिया है लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे यह समय ही बतायेगा।

अम्बानी के इस मिशन को प्रेरणा मिलने के पीछे एक नया रहस्योद्घाटन भी है कि वैक्सीनेशन की मात्र दो डोज ही पर्याप्त नहीं हैं, समय-समय पर बूस्टर डोज भी लगवाते रहना पड़ेगा, जाहिर है इससे वैक्सीन का बाजार एवं मुनाफ़ा दिन दुनी-रात चौगुणी बढता ही जायेगा।

राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर दो हफ्ते में आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिया आदेश

दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना पर न्यायालय की तलवार लटक रही है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर विचार करते हुए जारी किया।

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं, जो मामले में मेरी भागीदारी के बारे में हैं। मैंने सीबीआई चयन में इस व्यक्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। चीफ जस्टिस ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य के रूप में अस्थाना की सीबीआई प्रमुख के रूप में नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। बाद में उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित आदेश ने पुष्टि की कि मामले की सुनवाई उपयुक्त पीठ द्वारा की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्री को इस मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

उच्चतम न्यायालय अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि मुझे नहीं लगता कि यह लॉर्डशिप को बिल्कुल भी अक्षम करता है।

इस पर चीफ जस्टिस के साथ पीठ में शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। पीठ ने कहा कि हम उच्च न्यायालय को इसे (याचिका) निपटाने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। इसके साथ ही पीठ ने याचिका को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका उनके मुवक्किल की याचिका से कॉपी-पेस्ट है। भूषण ने कहा कि हमारे यहां याचिका दायर करने के बाद इसे किसी और के माध्यम से दायर किया गया है। पीठ ने

प्रशांत भूषण को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में हस्तक्षेप करने की छूट दी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से मामले पर फैसला करने के लिए हाईकोर्ट को कम से कम 4 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया, लेकिन पीठ नहीं मानी। पीठ ने मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

दरअसल 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को सेवानिवृत्त के तीन दिन पहले जुलाई के अंत में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली एक अन्य याचिका भी वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई है।

सीपीआईएल की याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का आदेश कई आधारों पर पूरी तरह से अवैध है। यह तर्क दिया गया था कि चुनौती के तहत आदेश प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है क्योंकि अस्थाना के पास छह महीने का आवश्यक न्यूनतम शेष कार्यकाल नहीं था, उनकी नियुक्ति के लिए कोई यूपीएससी पैनल नहीं बनाया गया था और दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के मानदंड की अनदेखी की गई, जैसा कि फैसले में निर्देश दिया गया था।

याचिका में स्पष्ट किया गया है कि भले ही प्रकाश सिंह में निर्देश किसी राज्य के डीजीपी के पद के संबंध में थे, वे वर्तमान मुद्दे पर लागू होते हैं क्योंकि पुलिस आयुक्त, दिल्ली का पद एक डीजीपी के पद के समान है।

सीपीआईएल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मई 2021 में प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने अस्थाना को सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रयास किया था। हालाँकि, प्रस्ताव को कथित तौर पर चीफ जस्टिस रमना ने प्रकाश सिंह में निर्धारित "छह महीने के नियम" का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के मौलिक नियम 56 (डी) के अनुसार 60 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में विस्तार नहीं दिया जा सकता है।

हालांकि चुनौती के तहत आदेश ने स्पष्ट किया कि जनहित के लिए एक विशेष मामले में विस्तार की अनुमति देने वाले नियम 16 में ढील देकर विस्तार दिया गया है, याचिका में दोहराया गया है कि अस्थाना के लिए ऐसा कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था जब वह सेवानिवृत्ति के कगार पर थे।

-जेपी सिंह